न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 50 /2024

उनवान

1. श्रीमती पारी पत्नि प्रभुलाल जाति डबगर निवासी नवागांव, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 08 .4.2025

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तत्थ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी भूमि खाता संख्या 63 (नया), 52 (पुराना) के खसरा संख्या 654 रकबा 0.08 हे. भूमि, पटवार हल्का अरथूना के मौजा नवागांव तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीया ने गमीरी पुत्री फकीरा जाति बलाई निवासी नवागांव तहसील अरथूना जिला बांसवाडा से दिनांक 13.2.2009 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 02 पृष्ठ संख्या 32 क्रम संख्या 2009000232 से उप—पंजीयक गढ़ी से पंजीकृत करवा कर क्रय किया है। तथा क्रय दिनांक से प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग—उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के ऑनलाईन मोटेशन में लिपिकिय त्रुटी से प्रार्थीया की जाती बलाई अंकित हो गई है जबकि प्रार्थीया की वास्तविक व सही जाति डबगर है। प्रार्थीया द्वारा खरीदशुदा उक्त भूमि के विक्रय पंजीयन रजिस्ट्री, ऑफलाईन मोटेशन, राजस्व रिकार्ड एवं आधार कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजो में भी प्रार्थीया की वास्ततिक जाति डबगर ही अंकित है। प्रार्थीया के उक्त खाते के राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटी को दुरूस्त किये जाने बाबत् प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया।

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना को सम्मन [illegible] धारी तहसीलदार अरथूना द्वारा जवाब पेश किया। तहसीलदार [illegible] कराया कि पटवार हल्का अरथूना के मौजा नवागांव की खाता संख्या 63 [illegible] संख्या 654 रकबा [illegible] हे. भूमि खातेदार पारी पत्नी प्रभुलाल जाति बलाई [illegible] दार दर्ज रिकार्ड है। [illegible] ने उक्त भूमि गमीर पुत्री फकीरा जाति बलाई से संलग्न बेचान पंजीयन से दिनांक 13.2.2009 को क्रय की थी। उक्त भूमि के पंजीयन का नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 6.7.2009 को पारी पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रभुलाल जाति डबगर के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ था। तत्कालीन समय में नामान्तरकरण ऑफलाईन फैसल किये जाते थे। परन्तु वक्त सेग्रीकेशन उक्त नामान्तरकरण ऑनलाईन करते समय उक्त प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में नाम सेवन से पारी पत्नि प्रभुलाल जाति बलाई सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हो गया, जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति डबगर है जो प्रार्थी के संलग्न दस्तावेज एवं संलग्न अन्य जमाबंदी में भी दर्ज है। इस संबंध में संलग्न मौका पर्चा अनुसार स्थानीय व्यक्तियों से पूछताछ कि गई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि प्रार्थी की वास्तविक जाति डबगर है। तहसीलदार, अरथूना द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीया की जाति बलाई के स्थान डबगर किये जाने की अनुशंसा मय दस्तावेज बैचान नामा, ऑफलाईन नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 6.7.2009 की प्रति, प्रार्थी के आधार कार्ड, वॉटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, प्रार्थीया के अन्य खाता संख्या 118 (नया) की प्रति एवं मौका पर्चा पेश किया।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संलग्न दस्तावेजो एवं भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से यह साबित होता है कि प्रार्थीया की वास्ततिक जाति डबगर है। किन्तु प्रार्थीया द्वारा क्रम की भूमि खाता संख्या 63 (नया), 52 (पुराना) के खसरा संख्या 654 रकबा 0.08 हे. भूमि का वक्त सेग्रिकेशन नामान्तरकरण ऑनलाईन करते समय प्रार्थीया की जाति डबगर के स्थान पर बलाई दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरस्त कर खातेदार पारी पत्नी प्रभुलाल जाति बलाई के स्थान पर पारी पत्नी प्रभुलाल जाति डबगर किया जाना उचित है। अतः पटवार हल्का अरथूना के मौजा नवागांव की खाता संख्या 63 (नया), ज़माबंदी संवत् 2075–2078 में खातेदार पारी पत्नी प्रभुलाल जाति बलाई के स्थान पर पारी पत्नी प्रभुलाल जाति, डबगर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 08.4.2025 को सरे इजराय में सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner